शहीद सुरिन्दर सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान "ज्वाली", तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2010 से 3/2015

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः– (क)** सरकार द्वारा दिनाँक 27.1.2010 को शहीद सुरिन्दर सिंह, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) के स्थान पर Co-education किया गया है।

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः– संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की कार्रवाई के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2010

पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त कर लिया गया)
पैरा–4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
पैरा–5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
पैरा–6	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
पैरा–7	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
पैरा–8	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
पैरा–9	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
पैरा–10	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था "ज्वाली" के अवधि 4/2010 से 3/2015 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 25.7.2015 से 1.8.2015 के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/11, 7/11, 7/12, 7/13 व 7/14 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/10, 10/11, 3/13, 7/13 व 4/14 चयनित किये गए।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था

द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता हैं।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्यों ने संस्थान में आहरण एंव वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री पी0एल0 शर्मा	23.4.09 से 30.6.12
2	श्री ईश्वर सिंह	3.7.12 से 30.4.13
3	श्री सुरजीत सिंह	1.5.13 से 27.11.14
4	श्री विनोद शर्मा	28.11.14 से 30.4.15

3 अंकेक्षण शुल्क

शहीद सुरिन्दर सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान "ज्वाली" के अवधि 4/2010 से 3/2015 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7000/–बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 138 दिनाँक 1.8.15 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को संस्थान द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 707665 दिनाँक 18.8.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

शहीद सुरिन्दर सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान "ज्वाली" द्वारा प्रस्तुत संस्थान की छात्र कल्याण निधि लेखों की अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

5 **निवेशः–**संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

6 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

संस्थान द्वारा छात्रों की फीस वसूली से सम्बन्धित रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में संस्थान द्वारा प्राप्त की गई, प्रयोग की गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

7 रसीद बुक प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 7/2011 से सम्बन्धित रसीद बुक संख्या 901–1000 प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में उक्त माह में इस रसीद बुक के अन्तर्गत प्राप्त की गई राशि की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः उक्त रसीद को ढूंढ कर आगामी ऑडिट में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाये।

8 विवरण पुस्तिका को प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान वर्ष 2011–12 की विवरण पुस्तिका आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में वसूली गई निधियों की राशियों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त अवधि की विवरण पुस्तिका को आगामी ऑडिट में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

9 कुटेशनों के आधार पर खरीद न करने बारे

एच0पी0एफ0आर0 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक की खरीद कुटेशनों के आधार पर करनी अपेक्षित होती है, परन्तु वाउचर संख्या 33 की जाँच करने पर पाया गया कि मै0 लकी बुक डिपो रेहन से उनके बिल संख्या 188, दिनाँक 22.2.13 के अन्तर्गत ₹4380/– के खेल के सामान की खरीदे कुटेशनों के बिना की गई है, जबकि कुटेशनों के आधार पर खरीद करके बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सकता था। उक्त के अभाव में इस खरीद हेतु भुगतान की गई दरों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः कुटेशनों के बिना खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

10 अखबार की रददी की नीलामी न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिए गए कुछ प्रकरणों में संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से अखबारों की खरीद की गई है, परन्तु अखबार की रददी की नीलामी नहीं की गई है। अतः अखबार की रददी की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अब अखबार की रददी की नीलामी शीघ्र करके इससे प्राप्त आय को छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

वा0सं0/वर्ष	खरीद की अवधि	फर्म का नाम	राशि
14/2010	01.05.10 से 31.10.10	मै0 गौतम न्यूज ऐजेन्सी ज्वाली	718
22/2011	01.10.11 से 31.12.11	मै0 गौतम न्यूज ऐजेन्सी ज्वाली	369

11 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

संस्थान द्वारा अंकेक्षण के दौरान अग्रिम रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में अग्रिम कब–कब दिया गया, कितना–कितना अग्रिम दिया गया, किस–किस प्रयोजन पर कितना–कितना व्यय अग्रिम से किया गया तथा अग्रिम से कितनी राशि शेष बची, इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अग्रिम रजिस्टर को आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि खाते में से क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) केवल माह 5/2012 में करवाई गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित थी। अतः 5/12 के बाद प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाकर भविष्य में वार्षिक सत्यापना करनी सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्रवाई से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

13 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

14 निष्कर्षः– लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)सी (15) (xi) (ii) 465/2000 6733–6734 दिनांक16.11.15, शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ज्वाली, जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भिजवायें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.